D:\Gopalan\G.Letter.docx49

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं,
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक–एफ.3(80) पोषा./milk/ICDS/2018 182288-624 जयपुर, दिनांक 12-10-18

उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त।

विषयः– "मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना " के कियान्वयन के संबंध में ।

आंगनबाडी केन्द्रो पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चो, गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा किशोरी बालिकाओ को पूरक पोषाहार के साथ–साथ सप्ताह में तीन दिन दूध पिलाने हेतु "मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना " के क्रियान्वयन हेतु विभागीय समसंख्यक आदेश कंमाक 170224 दिनांक 18.09.2018 द्वारा राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन, राजस्थान, जयपुर को स्किम्ड मिल्क पाउडर की आपूर्ति हेतु कार्यादेश दिया जा चुका है। तथा उक्त योजना के सफल कियान्वयन हेतु आपकों विभागीय आदेश 175472–808 दिनांक 01.10.2018 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश प्रदान किए गए है।

इस सम्बन्ध में लेख है कि राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन से परियोजना कार्यालय में प्राप्त स्किम्ड मिल्क पाउडर के पाउचों को आंगनबाडी केन्द्रों तक परिवहन की व्यवस्था आपके स्तर से की जानी है। जिस पर होने वाले व्यय को पोषाहार मद में आवंटित बजट से व्यय किया जाकर स्किम्ड मिल्क पाउडर के पाउचों को आंगनबाडी केन्द्रों तक आपूर्ति सुनिश्चित करावें । परिवहन कार्य में होने वाला व्यय 100 प्रतिशत राज्यांश से व्यय किया जाकर सूचना निदेशालय को मासिक व्यय प्रपत्र में पृथक से अंकित करते हुए प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें ।

(सुषमा अरोडा)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राज. जयपुर।

क्रमांक–एफ.3(80) पोषा./milk/ICDS/2018 182625-627 जयपुर, दिनांक 12-10-18
प्रतिलिपी :–

1. निजी सचिव, निदेशक, समेंकित बाल विकास सेवाऐं , राजस्थान, जयपुर ।
2. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय
3. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा, मुख्यालय को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

(जिज्ञासा गौड)
अतिरिक्त निदेशक(पोषा.)